न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26/2017 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री भेरूलाल पिता मूलचन्द जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री ईश्वरलाल पिता मूलचन्द जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री रमेशचन्द्र पिता कालूलाल जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री अशोक पिता कालूलाल जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री हरीश पिता कालूलाल जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
6. श्रीमती सुन्दरदेवी बेवा कालूलाल जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
7. श्री मनसुख पिता पन्नालाल जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
8. श्री भंवरलाल पिता वाल जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
9. श्री फतहलाल पिता वाल जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
10. श्री बदामीलाल पिता वाल जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
11. श्री किशोर पिता वाल जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
12. श्री संजय पिता भोग जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
13. श्री हितेष पिता भोग जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
14. श्रीमती रूखीबाई बेवा भो जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)

15. श्री बंशी पिता शंकरलाल जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
16. श्री गजेन्द्र पिता शंकरलाल जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
17. श्री प्रकाश पिता छविया जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
18. श्री हिम्मतराम पिता भगवान जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
19. श्री सुरेश पिता भगवान जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
20. श्री ईश्वर लाल पिता भगवान जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
21. श्रीमती प्यारी देवी पत्नी भगवान जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
22. श्रीमती लीला पुत्री शांतिलाल जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
23. श्रीमती तारा पुत्री शान्तिलाल जी सुथार निवासी कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. आंगनवाडी केन्द्र मेघवाल बस्ती, कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी
ऋषभदेव दिनांक 06–01–2011 प्रकरण क्रमांक
एफ/(2)राजस्व/शिविर/2010/76/10

———/———

उपस्थित :– 1– श्री आशिष दोवडिया अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं.–2

——————/——————

निर्णय **दिनांक 06–12–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ/(2)राजस्व/शिविर/2010/76/10 दिनांक 6–1–2011 से ग्राम कल्याणपुर की बिलानाम आराजी संख्या 446 रकबा .61 हैक्टर किस्म रास्ता में से .01 हैक्टर भूमि आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए आवंटित की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–5–2017 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकारा नहीं थे तथा उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उन्हें जानकारी 28–12–2016 को हुई एवं अन्दर जानकारी मयाद से यह अपील पेश की जा रही है ताईद में शपथ पत्र भी दिया। न्यायहित, अखण्डित शपथ पत्र के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाती है।

अपील के साथ दफा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि रास्ते की भूमि को आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु आवंटन कर दिया है, जिससे अपीलान्ट पक्षकार के हित प्रभावित हो रहे है तथा उन्हें आवागमन में व्यापक बाधा उत्पन्न हो रही है, वे हितबद्ध पक्षकार है। अतएव उन्हें अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा दिलवाई जाय।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष को सुना। आवंटित भूमि रास्ते की है तथा रास्ते की भूमि के आवंटन के कारण ग्रामवासी अपीलान्ट को हितबद्ध माना जाना उचित है। अतएव धारा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर ने उपस्थिति दी। आंगनवाड़ी केन्द्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होना बताकर अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अपीलान्ट पक्षकारान की कृषि भूमियां आंवटित भूमि के आस–पास स्थित होकर उक्त आवंटित आराजी का जिसकी किस्म रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा है। रास्ते की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता व पंचायत द्वारा भी विधि विरूद्ध आवेदन व अनुशंषा की है।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस स्पष्ट रूप से कहा कि आवंटित भूमि पर आंगनवाड़ी बन चुकी है। अतएव अब उन्हें पूर्वानुसार रास्ता क्षतिपूर्ति करवाई जाय।

हालांकि रास्ता किस्म भूमि को आवंटित किया जाना प्रथम दृष्टया विचारणीय है, परन्तु अब जबकि अपील अपीलान्ट सद्भावी रूप से स्वयं यह व्यक्त करते है कि आंगनवाड़ी बन चुकी है तथा उसमें सार्वजनिक हित व राजकीय धन का व्यय हो चुका है, तो इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त रास्ते की भूमि को आवंटित स्थल का स्वयं मौका निरीक्षण करे तथा मौके पर उपलब्ध रास्ते को किस प्रकार पूर्वानुसार करने हेतु क्षतिपूर्ति की जा सकती है, इस पर विचार करें।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हम अपील अपीलान्ट तो अब स्वीकार नहीं हो सकने के कारण खारिज करते है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय को यह निर्देश जारी करना उचित समझते है कि आदेश प्राप्ति के 2 माह में उक्त आवंटित स्थल का मौका निरीक्षण अपीलान्ट व अन्य जन–प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कर मौके पर रास्ते की क्षतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक समाधान तलाश कर विधिक कार्यवाही नियमानुसार करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील निष्पादित की जाती है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर